

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2018/00168 बअनवान गजरो बनाम गंगा के का.मु. लकमाराम वगैरा  
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नंबर व तारीख अहकाम  
जो इस हुकम की तामील  
में जारी हुये

19  $\frac{11}{24}$

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।  
उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड  
के अध्ययन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पुनाडिया के गत  
खसरा नंबर 220 व 258 कुल खसरा 02 कुल रकबा 8 बीघा 18  
बिस्वा के भू-भाग से बने हाल खसरा नंबर 418 रकबा 0.67 हैक्टर व  
खसरा नंबर 358 रकबा 0.67 हैक्टर कुल रकबा 1.34 हैक्टर बाबत  
घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद लंबित है तथा  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय भूमि पुश्तैनी मानते हुये प्रथम दृष्ट्या  
मामला प्रार्थीया के पक्ष में मानते हुये दिनांक 18.09.2018 को प्रार्थीया  
के पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। जो स्थगन आदेश  
आदिनांक तक प्रभावी है तथा उक्त स्थगन से अप्रार्थीगण को किसी  
प्रकार की असुविधा भी नहीं है। जिससे मूल वाद के निर्णय तक  
दिनांक 18.09.2018 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को  
मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
होकर नंबर से कम हो।



3  
सहायक कलेक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, पाली  
उपखण्ड अधिकारी, पाली